



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 28.11.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 05 - 05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व दिया गया प्रत्येक को 7,000 – 7,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना बसरेहर व मानीटारिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 05 - 05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व दिया गया प्रत्येक को 7,000 – 7,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.05.2017 को वादी विक्रम सिंह यादव पुत्र छेदालाल निवासी खानपुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज द्वारा थाना बसरेहर पर तहरीर दी कि इण्डिगो कार सवार 03 व्यक्तियों द्वारा लिफ्ट देकर वादी से जबरदस्ती 20,000/- रुपये छीन कर चलती कार से धक्का देकर नीचे फेक दिया । तहरीर के आधार पर थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 217/2017 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बसरेहर पुलिस टीम, पैरोकार का0 संदीप एवं मानीटारिंग सैल व एडीजीसी श्री कौशलेन्द्र तोमर द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 28.11.24 को में मा0 न्यायालय ADJ-12/डकैती इटावा द्वारा 05 - 05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व दिया गया प्रत्येक को 7,000 – 7,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. रसीद उर्फ लतीफ पुत्र फिदा हुसैन दन्तौली थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
2. नौसाद पुत्र महमूद अली निवासी दन्तौली थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
3. शान्ति स्वरूप पुत्र चन्द्रभान निवासी नगला कुंज थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।